



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22082024-256567
CG-DL-E-22082024-256567

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3249]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 22, 2024/श्रावण 31, 1946

No. 3249]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 22, 2024/SHRAVANA 31, 1946

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 2024

का.आ. 3565(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि जम्मू और कश्मीर (केंद्र शासित प्रदेश) राज्य के बारामूला जिले में नवीन घोषित NH-701 के कि.मी. 0+000 से 13+000 कि.मी. तक (रफीआबाद-कुपवाड़ा-चौकीबल-तंगधार-चमकोट रोड)(पैकेज-1) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् डिप्टी कमिश्नर (राजस्व) एवं भूमि अधिग्रहण अधिकारी, बारामूला को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

जम्मू और कश्मीर राज्य(केंद्र शासित प्रदेश) के बारामूला जिले में नवीन घोषित NH-701 के कि.मी. 0+000 से कि.मी.13+000(रफीआबाद-कुपवाड़ा-चौकीबल-तंगधार-चमकोट रोड़)(पैकेज-1) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: जम्मू और कश्मीर			जिले का नाम: बारामूला		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: बारामूला					
गांव का नाम: देलिना					
1	2507	निजी	आबी अवल	0.0306 (हेक्टेयर)	0.0306
2	3135	निजी	मैदानी	0.0155 (हेक्टेयर)	0.0155
3	3136	निजी	मैदानी	0.026 (हेक्टेयर)	0.026
4	3137	निजी	मैदानी	0.0383 (हेक्टेयर)	0.0383
5	3140	निजी	गैर मुमकिन मशीन	0.0309 (हेक्टेयर)	0.0309
6	3140/1	निजी	मैदानी	0.0737 (हेक्टेयर)	0.0737
7	3206	निजी	बाग खुशकी	0.0045 (हेक्टेयर)	0.0045
8	3206 Min	निजी	बाग खुशकी	0.0076 (हेक्टेयर)	0.0076
9	3206 Min	निजी	बाग खुशकी	0.0101 (हेक्टेयर)	0.0101
10	6839/3205	निजी	बाग खुशकी	0.0509 (हेक्टेयर)	0.0509
11	6839/3205 Min	निजी	बाग खुशकी	0.0037 (हेक्टेयर)	0.0037
12	6840/3205	निजी	बाग खुशकी	0.0421 (हेक्टेयर)	0.0421
13	6863/3141	निजी	बाग खुशकी	0.0662 (हेक्टेयर)	0.0662
14	6866/3141	निजी	बाग खुशकी	0.0306 (हेक्टेयर)	0.0306
15	6888/2504	निजी	आबी अवल	0.0202 (हेक्टेयर)	0.0202
16	8561/5978/3149	निजी	बाग खुशकी	0.0105 (हेक्टेयर)	0.0105
17	8565/5978/3149	निजी	बाग खुशकी	0.0017 (हेक्टेयर)	0.0017
कुल योग					0.4631

[फा. सं. 1/3A]

अभय जैन, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd August, 2024

S.O. 3565(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of Newly declared **NH-701** in the stretch of land from **Km. 0+000 to Km. 13+000 (Rafiabad-Kupwara-Chowkibal-Tangdhar-Chamkot Road)(Package-1)** in the district of **BARAMULLA** in the state of **JAMMU & KASHMIR(UT)**, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, the **Deputy Commissioner(Revenue) and Land Acquisition Officer, Baramulla** in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling Newly declared **NH-701** in the stretch of land from **Km. 0+000 to Km. 13+000(Rafiabad-Kupwara-Chowkibal-Tangdhar-Chamkot Road)(Package-1)** in the district of **BARAMULLA** in the state of **JAMMU & KASHMIR(UT)**

State: JAMMU & KASHMIR			District: BARAMULLA		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Baramulla					
Village: DELINA					
1	2507	Private	Abi Awal	0.0306 (Hectare)	0.0306
2	3135	Private	Madaani	0.0155 (Hectare)	0.0155
3	3136	Private	Madaani	0.026 (Hectare)	0.026
4	3137	Private	Madaani	0.0383 (Hectare)	0.0383
5	3140	Private	Gair Mumkin Machine	0.0309 (Hectare)	0.0309
6	3140/1	Private	Madaani	0.0737 (Hectare)	0.0737
7	3206	Private	Bagh Khushki	0.0045 (Hectare)	0.0045
8	3206 Min	Private	Bagh Khushki	0.0076 (Hectare)	0.0076
9	3206 Min	Private	Bagh Khushki	0.0101 (Hectare)	0.0101

10	6839/3205	Private	Bagh Khushki	0.0509 (Hectare)	0.0509
11	6839/3205 Min	Private	Bagh Khushki	0.0037 (Hectare)	0.0037
12	6840/3205	Private	Bagh Khushki	0.0421 (Hectare)	0.0421
13	6863/3141	Private	Bagh Khushki	0.0662 (Hectare)	0.0662
14	6866/3141	Private	Bagh Khushki	0.0306 (Hectare)	0.0306
15	6888/2504	Private	Abi Awal	0.0202 (Hectare)	0.0202
16	8561/5978/3149	Private	Bagh Khushki	0.0105 (Hectare)	0.0105
17	8565/5978/3149	Private	Bagh Khushki	0.0017 (Hectare)	0.0017
Total					0.4631

[F. No. 1/3A]

ABHAY JAIN, Director